

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपायुक्त भवन, लालकोठी, टॉक रोड जयपुर-15)

क्रमांक : एफ-13 () उपा.आयो-II/ननिज/2022/ 04

दिनांक 21/12/22

सार्वजनिक सूचना

भूखण्ड सं. 70, लक्ष्मी नगर, (लक्ष्मीनारायणपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि0) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री राम विलास कुमावत पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण कुमावत को क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। प्रकरण में अब आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), रजि0 पट्टा मय साइट प्लान की फोटोप्रति, रजि0 विक्रय पत्रों की फोटोप्रतियां एवं अन्य चैन दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के आधार उक्त भूखण्ड का उपविभाजन चाहा है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई मूल दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के आधार पर श्रीमती पुष्पा देवी गुप्ता पत्नी श्री राधेश्याम गुप्ता के पक्ष में उक्त भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज में से क्षेत्रफल 100.00 वर्गगज का उपविभाजन किया जाना है। उक्त भूखण्ड के उपविभाजन बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, आयोजना-द्वितीय) में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार पत्रावली उपविभाजन की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त (आयोजना द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर